

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

क्रमांक :- स्टोर/रा.उ.न्या.पी./2024-25/1896


दिनांक :- 29/1/25

सीमित निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा निम्नानुसार क्रम संख्या 1 से 4 तक के आईटम्स उनके सामने अंकित मात्रानुसार खरीदने हेतु सीमित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र०स०	आईटम्स	मात्रा
1	Wooden visitor Chairs (As per specifications)	9
2	Executive Chair (As per specifications)	1
3	Computer Table (As per specifications)	6
4	Stool (As per specifications)	1

इच्छुक निविदा-दाता अपनी दरें स्वयं के लैटर पैड पर दिनांक 06.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

S.N.	Items Name	Specifications
1	<b>Wooden Visitors Chairs</b>	Wooden Frame with Hand rest Seat- 2" Foam- Sleepwell (Feather Foam) Sleepwell (Feather Foam) in Back side Back (Total) Height- 39" Width- 18" Depth- 20"
2	<b>Computer Table</b>	Size in inch:- 36 x 24 x 30 (LxWxH) Colour & Design will be approved by Committee <b>Note:</b> Item's detail should be paint on back side. example: RHC/2024-25/S.No..
3	<b>Stool</b>	Height- 2.6, top MDF board (18"x18") having 16 gauge square steel pipe (1"x1"), top side pipe distance 19"x19" with one step Colour & Design will be approved by Committee <b>Note:</b> Item's detail should be paint on frame's one leg. example: RHC/2024-25/S.No.
4	<b>Executive Chair</b>	<p><b>SEAT/BACK ASSEMBLY:</b> The Cushioned seat assembly cons should be ts of seat outer (material-30% Glass Fiber Nylon)&amp; upholstered Seat inner (material- Poly Propylene) with moulded Polyurethane foam &amp; polyester fabric. The Net Back should be made up of Back outer (material-Glass Fiber Filled Nylon)&amp; Back inner (material-PP) and upholstered using Polyester Mesh fabric with high tenacity yarn. Full Back Size: 46.5 cm. (W) x 60.0 cm. (H) Seat Size : 51.0 cm. (W) x 49.0 cm. (D)</p> <p><b>HIGH RESILIENCE (HR) POLYURETHANE FOAM:</b> The HR Polyurethane foam should be moulded with density = 45 +/- 2 kg/m<sup>3</sup> and Hardness load 12 +/- 2 kgf for 25%compression.</p> <p><b>BACK SPINE:</b> The support spine should be made up of High Pressure Die cast polished hed Aluminum.</p> <p><b>ARMRESTS :</b> The armrest should be having two adjustment, Height (6.0±0.5cm) and Depth (6.0±0.5cm). Height adjustment should be provided in Aluminum structure of armrest which should be connected to Aluminum Back spine and should be operated by button. The depth adjustment should be provided in pad which should be fixed to armrest structure. Armrest Top should be made up of PU molded over plastic inner.</p> <p><b>ACTIVE BIO-SYNCHRO mechanism:</b> The adjustable tilting mechanism should be designed with the following features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•360° revolving type</li> <li>• Front-pivot for tilt with feet resting on ground &amp; continuous lumber support ensuring more comfort</li> <li>• Tilt tension adjustment can be operated in seating position</li> </ul> <p>5 position Tilt limiter giving option of variable tilt angle to the chair</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seat / back tilting ratio of 1:2</li> <li>• The mechanism housing should be made up of HPDC Aluminum &amp; black powder coated (DFT 40 to 60 micron)</li> </ul> <p><b>SEAT DEPTH ADJUSTMENT:</b> Seat depth adjustment should be integrated in the seat through a sliding mechanism. Seat depth adjustment range should be of 3.75±0.1 cm</p> <p><b>LUMBAR SUPPORT ASSEMBLY:</b> The Lumbar support assembly should consist of lumbar spine (material-Glass Fiber Filled Nylon) which should be fixed to Aluminum Back spine. The Lumbar pad (material- Poly Propylene) should be fixed to lumbar spine through lumbar Pad support. Lumbar Support Assembly has height adjustment of 5.0±0.5cm</p> <p><b>PNEUMATIC HEIGHT ADJUSTMENT:</b> The pneumatic height adjustment has an adjustment stroke of 10.0 ± 0.3cm.</p> <p><b>PEDESTAL ASSEMBLY WITH CASTORS:</b>The pedestal should be High Pressure Die cast polished Aluminum and fitted with 5 nos. twin wheel castors. The pedestal should be 65.0 ± 0.5cm. pitch-center dia.(75.0 ± 1.0cm. With castors.)</p> <p><b>TWIN WHEEL CASTORS:</b> The twin wheel castors should be injection moulded in black PP having 6.0± 0.1cm wheel Diameter.</p> <p>The neckrest assembly cons should be ts of upholstered Neckrest inner(material- PolyPropylene) with moulded Polyurethane foam and Polyester fabric.Upholstered inner should be fixed to Neckrest cover.Neckrest should be fixed to Back assembly through Neckrest spine .Neckrest assembly has height adjustment of 5.5 +/- 0.5cm and Rotation adjustment of overall 20° +/- 2°</p> <p>Overall Dimensions of Chair Seat Height - 45.5 -55.5cm. Height - 109.3 - 124.4cm. Width-75.0 cm and Depth-75.0cm The product is BIFMA Level 2 ,GREEN PRO, GREENGUARD ,Indoor Advantage GOLD, GRIHA &amp; SVAGRIHA Certified</p>

## सीमित निविदा हेतु शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुये प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदाएँ मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी है।
2. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंको, दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप में अंकित की जानी चाहिए। शब्दों एवं अंको में राशि में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
3. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उदृत की जानी चाहिए, जिसमें सभी कर एवं लागते समाहित होनी चाहिये। निविदा की अवधि में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा करों में कमी अथवा वृद्धि की जाती है, तो दोनों पक्षों को मान्य होगी।
4. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के आईटम्स की सप्लाय के कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा (सबलेट नहीं करेगा)।
5. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण देना होगा।
6. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
7. क्रयादेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी।
8. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी एफडीआर के रूप में, जो रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पक्ष में देय जो, जमा करानी होगी।
10. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. फर्म द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त योग्य होगी।
12. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्विडिड डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी:-
  - i. विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।
  - ii. विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पाँच प्रतिशत।
  - iii. विदित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश का साढ़े सात प्रतिशत।
  - iv. विदित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।

13. प्रावधान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शास्त्र की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी।
14. क्रय समिति को निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णित करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति नियमानुसार निविदादाताओं को निगोसियेशन के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
15. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. क्रय समिति आवश्यकतानुसार क्रय कर सकती है। जिन फर्मों की निविदा स्वीकार की जाएगी, उन्हें मांग के अनुसार आईटम्स की सप्लाई कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करनी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
17. सभी Items की दरें उचित मानक इकाई में 'कोट' की जानी चाहिए यथा प्रति पैकेट, प्रति नग, प्रति हजार आदि।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार (प्रशासन) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
19. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
21. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम में उल्लेखित प्रावधान यथा स्थान लागू रहेंगे।
22. निविदा में दर्शायी गई सामग्री की मात्रा सांकेतिक हैं, वास्तविक क्रय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। दर्शायी गई अनुमानित मात्रा से अधिक/कम क्रय किया जा सकेगा। अनुमोदित सभी आईटम्स की अनुमानित मात्रा को क्रय किए जाने हेतु क्रेता अधिकारी बाध्य नहीं होगा।